

श्रीमान्जी

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक - पंजी0/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत एवं बन्द वसीयत को खुलवाने बाबत अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

2021/204

प्रार्थी सन्जीव कुमार पुत्र चेतन दास जाति अरोडा निवासी 494 विनोबा बस्ती तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र, मूल रसीद व आई.डी. प्रूफ, एवं दो गवाहों के शपथ पत्र, आई.डी. प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता श्री चेतन दास पुत्र वीरू राम जाति अरोडा निवासी 494 विनोबा बस्ती तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा बन्द वसीयत 25.05.2009 को करवाई थी उनका स्वर्गवास दिनांक 29.11.2017 को हो चुका है। जो खोली जाकर पंजीकृत की जावे।

प्रार्थी को गवाह दिनेश जुनेजा पुत्र राम कुमार एवं अजय मितल पुत्र जगन नाथ ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त श्री सुखविन्द्र सिंह गिल ने की है। अतः नियमानुसार एवं विधिसम्मत कार्यवाही से निर्धारित शुल्क जमा करवाकर सिल्ड पैकेट बन्द लिफाफा खोलने हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय

2021/204

h